विविध बैंक प्र0सं0 63/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिए सहायक महा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम मैं0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान न0 237 नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवीदयाल स्थित मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12, चक 2 ई छोटी, ज्योति नगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.11.2017

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ रजिस्ट्री रसीद एवं पोस्ट ओफिस द्वारा डाक वितरण विवरण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 237 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवीदयाल स्थित मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 24,50,000/— रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 03.03.2014 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति सुशील देवी पत्नि श्री देवीदयाल ने अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 71 का भाग मुरब्बा न0 62 किला नम्बर 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर साईज 20' गुणा 45' कुल 900 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीया द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 23.06.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीया ऋणी की ओर दिनांक 03.12.2016 तक ऋण राशि 26,13,725— रूपये (ब्याज 02.12.2016 तक) एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीया को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 06.12.2016 को जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीया द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है। इसलिए अप्रार्थीया श्रीमति सुशीला देवी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

मैने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये सहायक महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, (रासमेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगागर के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 24,50,000/— रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 03.03.2014 को अप्रार्थी मै0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 237 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवीदयाल स्थित मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति सुशीला देवी ऋणी द्वारा अपनी रिहायशी सम्पति मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीया को बैंक द्वारा दिनांक 06.12.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये। अप्रार्थीया द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

चूंकि बैंक द्वारा अप्रार्थी मै0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 237 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशील देवी व अप्रार्थीया श्रीमति सुशीला देवी के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से बैंक द्वारा नोटिस भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र, प्रस्तुत रजिस्ट्री रसीदें दिनांक 07.12.2916 एवं पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण के विवरण पत्र अनुसार अप्रार्थी ऋणी कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी को उक्त नोटिस दिनांक 06.12.2016 का दिनांक 08.12.2016 को वितरण हो चुका है इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी मै0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 237 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवीदयाल स्थित मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक की कोई बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी मै0 कन्सल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 237 नई धानमण्डी श्रीगंगानगर जरिये प्रो0 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवीदयाल स्थित मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

pr f.

अतः भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहरगर श्रीगंगानगर जरिये सहायक महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक), द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी श्रीमति सुशीला देवी पत्नि श्री देवी दयालु स्थिति मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योतिनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति मकान न0 71 मुरब्बा न0 62 किला न0 12 चक 2ई छोटी ज्योति नगर, श्रीगंगानगर साईज 20' गुणा 45' कुल 900 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2041-42
20/11/17

यह आदेश आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर